

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, 2022 (मूल्यांकन वर्ष 2020-21) हेतु नामांकन पंचायतों की स्थलीय सत्यापन हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

Performance (Panchayat Award 2021-22)							
NAME	Email id	Contact No.	Address	Experience	Registration No.	Experience with PRI's Department(Related to panchayat Award)	Demand Draft No.
1	2	3	4	5	6	7	8
NOTE:- Attached all the Certificate/Document *							

नोट:- उपरोक्त पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश

1. आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2022 को सायं 05.00 बजे तक निदेशालय की ई-मेल पर प्रेषित की जा सकती है। इसके उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कार्यालय में डाक अथवा विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के स्थलीय सत्यापन हेतु ऐसे अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें पूर्व में पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग में कार्य का अनुभव हो। साथ ही ऐसे संस्था/एन0जी0ओ0 जिन्होंने पूर्व में पंचायतीराज में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्बन्धित उक्त उपरोक्त कार्य किया हो, आवेदन कर सकते हैं।
3. पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन के साथ डी.डी. की एक प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल रूप में डिमॉड ड्राफ्ट (डी.डी.) निदेशालय पंचायतीराज में दिनांक 03.01.2022 को सायं 05.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थलीय सत्यापन हेतु 02 व्यक्तियों की एक टीम दो दिनों के लिए शार्टलिस्ट की गयी ग्राम पंचायत द्वारा ऑनलाइन नामांकन में भरे गये विवरण का स्थलीय सत्यापन करेगी।
7. स्थलीय सत्यापन टीम के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-03 में निर्धारित दर) के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।
8. सत्यापन टीम के अधिकतम दो सदस्यों को ठहरने खाने आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ₹0 1000.00 तक वास्तविक बिलों के आधार पर देय होगा।
9. स्थलीय सत्यापन टीम हेतु मानदेय के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन ₹0 1000.00 तक मानदेय सीमित होगा।
10. सत्यापन टीम द्वारा संबंधित पंचायत के स्थलीय सत्यापन के दौरान मीटिंग/भ्रमण की फोटोग्राफ्स (न्यूनतम 05) अपनी रिपोर्ट के साथ निदेशालय में उपलब्ध करायी जाएगी, संलग्न फोटो में समय, दिनांक एवं लोकेशन अंकित करना अनिवार्य होगा।

निदेशक
पंचायतीराज